अजय कुमार बनाम राजस्थान सरकार
मु.नं. 144/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप० । वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बौंलीकुई पत्रावली दिनांक 13/12/2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बौंलीकुई (दौसा)
13/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप० । वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बौंलीकुई पत्रावली दिनांक 8/1/26 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बौंलीकुई (दौसा)
8/1/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उप० । वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बौंलीकुई दिनांक 22/1/26 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बौंलीकुई
	22/1/26 पत्रावली पेश ... कार्य स्थगन/... होने से ... आदेश की ... 20/2/26 को पेश हो। [signature]
	20/02/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप० पैरोकार सरकार उप० हुए। बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर व रिपोर्ट अंकित की गई।

Sir,
पत्रावली में निवेदन वादीगण के लिये के शामिल लाई सम्मान पत्र रखा हेतु प्रस्तुत पत्रावली जमा है। स्थान पर मौका रिपोर्ट किया जाना उचित है।
[signature]
MTD
बौंलीकुई

२५६

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	अजय कुमार बनाम राज सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु. नं. 144/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जरिये वकील एवं पैरोकार सरकार द्वारा मूल वाद पर बहस की गयी। हमने बहस सुनी। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वादीगण वकील एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी वाद उद्घोषणात्मक स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया गया। प्रकरण शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण सुनाए होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 20/2/26 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः– 144 / 2025
प्रकरण दायर दिनांकः–09.07.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः–20.02.2026

उनवान
1. अजय कुमार पुत्र नाथूलाल उम्र 55 साल
2. महेन्द्र उम्र 39 साल पुत्र नाथूलाल
3. नवलकिशोर पुत्र नाथूलाल उम्र 46 साल
जाति कोली निवासी पीचूपाडा खुर्द तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

:–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बॉदीकुई।

.... प्रतिवादी

दावा उदघोषणा नाम दुरूस्थी

वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादी दावा उदघोषणा नाम दुरूस्थी जर्ये वकील श्री श्याम सुन्दर शर्मा के इस आशय से पेश किया कि ग्राम पीचूपाडा खुर्द पटवार हल्का पीचूपाडा खुर्द तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 69 के खसरा नम्बर 425 रकबा 0.07, है०, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.04 है०, खसरा नंम्बर 427 रकबा 1.05 है० खसरा नम्बर 428 रकबा 0.84 है०, कुल किता 4 कुल रकबा 2.00 है0 वार्षिक लगानी 23.31 रूपये स्थित है जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा । भूमि मुतदाविया हिन्दू मुश्तर्का खानदान की भूमि है जो वादीगण के पिता नाथूलाल पुत्र बालू को विरासत मे प्राप्त हुयी है वादीगण का उक्त भूमि भूमि मुतदाविया मे वादीगण के पिता नाथूलाल को घर में नाथ्या के नाम से भी जाना जाता था जिस पर राजस्व अधिकारीयों ने बिना कोई जांच किये वादीगण के पिता का घर में बोलता नाम नाथ्या पुत्र बालू दर्ज कर दिया जो कि गलत है. जबकि वादीगण के पिता का सही नाम नाथूलाल पुत्र बालू है जो सही है वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका है के वादीगण के पिता के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, जनआधार कार्ड, रशनकार्ड, पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, रोडवेज पास, बैंक खाता तथा वादीगण के स्वयम के राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक, बैंक पास बुक, जनआधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सभी दस्तावेजात में वादीगण के पिता का नाम नाथूलाल पुत्र बालू दर्ज है जो सही है। इसलिये वादीगण न्यायालय हाजा से अपने हक में इस अमर की घोषणा/दुरुस्थी करवाने का अधिकारी है कि भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं० 1 जो कि वादीगण के पिता नाथूलाल पुत्र बालू को विरासत में प्राप्त हुयी है में सहवन से राजस्व अधिकारीयो ने रिकार्ड दर्ज करते समय वादीगण

aWE–

के पिता का नाम नाथूलाल पुत्र बालू के स्थान पर नाथ्या पुत्र बालू गलत दर्ज कर दिया गया वह गलत है जिसको हजफ करवाकर वादीगण अब अपने पिता का सही नाम नाथूलाल पुत्र बालू है जो सही है को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे । इस अमर की उदघोषणा वादी न्यायालय हाजा से अपने हक में प्राप्त करने का अधिकारी है वादीगण को राजस्व रिकार्ड में हो रहे अपने पिता के गलत नाम की पूर्व में कोई जानकारी नही रही है वादीगण को अपने पिता के नाम गलत होने की जानकारी सर्व प्रथम वादीगण को अब अपने पिता नाथूलाल पुत्र बालू का स्वर्गवास हो जाने पर अपने नाम से नामान्तकरण खुलवाते समय हल्का पटवारी के द्वारा बताये जाने पर दिनांक 02.07.2025 को हुयी है इससे पूर्व वादीगण को अपने पिता के गलत नाम की बाबत कोई जानकारी नही रही है। वादी अपने पिता के नाम की दुरूस्थी करवाने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 के यहां पर दिनांक 03.07.2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में दावा पेश करने की हिदायत देकर भेज दिया व नाम दुरूस्थ नहीं किया इस कारण वादीगण के पास सिवाय दावा हाजा पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा नजर नही आया इस कारण दावा पेश करना लाजिम आया बिनाय दावा व बिनाय मुखास्तमत दिनांक 03.07.2025 को प्रतिवादी के द्वारा वादी के पिता का नाम दुरूस्थ करने की मना करने से अन्दर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुयी है इसलिये दावा न्यायालय हाजा में पेश है। सकूनत फरीकेन व स्थिति भूमि मुतदाविया/रिकोर्ड न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से अन्दर हदूद न्यायालय हाजा होने के कारण अख्तियार समाअत मुकदमा हाजा न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी वरखिलाफ प्रतिवादी निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुये डिकी फरमाया जावें कि –

अ–उदघोषणा बहक वादी वरखिलाफ प्रतिवादी इस अमर की जारी फरमायी जावे कि भूमि मुतदाविया खेवट खतौनी संख्या नई 69 के खसरा नम्बर 425 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 427 रकबा 1.05 है०, खसरा नम्बर 428 रकबा 0. 84 है०, कुल किता 4 कुल रकबा 2.00 है० स्थित ग्राम पीचूपाडा खुर्द पटवार हल्का पीचूपाडा खुर्द तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में राजस्व कर्मचारीयो के द्वारा सहवन से वादीगण के पिता का स्व० नाथूलाल पुत्र बालू का नाम घर में बोलता नाम नाथ्या पुत्र बालू दर्ज कर दिया है जो कि गलत है को हजफ किया जाकर वादीगण के पिता का सही नाम नाथूलाल पुत्र बालू करने के आदेश फरमाया जावे इस अमर की दुरुस्थी वादीगण के हक में जारी फरमायी जाकर वादीगण के पिता का सही नाम नाथूलाल पुत्र बालू राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे। इस अमर की उदघोषणा वादीगण के हक में फरमायी जावें ।

ब– खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावें ।

स–अन्य दादरसी जो करीने बहक वादी हो और अता फरमायी जावें।

वादीगण वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी जर्ये रजिस्टर्ड एडी नोटिस/सम्मन से की गयी। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बांदीकुई उपस्थित इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर कर रिपोर्ट पुष्ट की कि पत्रावली में संलग्न वादीगण के पिता के राशन कार्ड, पहचान पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार नाथ्या के स्थान पर नाथूलाल पि. बालू किया जाना उचित है। हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पर

वादीगण वकील की बहस सुनी। बहस पर मनन किया। पत्रावली व संलग्न दस्तावजात का अवलोकन किया। अतः वादीगण वकील की बहस पर मनन करने, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पीचूपाडा खुर्द की जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या नया 69 पुराना 0 में वादीगण के पिता का नाम नाथ्या पुत्र बालू सहवन से दर्ज हुआ है जबकि वादीगण के पिता का सही नाम नाथूलाल पुत्र बालू है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा उद्घोषणा नाम दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद उद्घोषणा नाम दुरूस्ती स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि ग्राम पीचूपाडा खुर्द की जमाबंदी संवत् 2072–2075 खाता संख्या नया 69 पुराना 0 के खसरा नंबर 425, 426, 427, 428 कुल किता 4 कुल रकबा 2.00 हैक्टेयर में वादीगण के पिता का दर्ज नाम नाथ्या पुत्र बालू को हजफ किया जाकर सही नाम नाथूलाल पुत्र बालू दर्ज किया जावे। तहसीलदार बांदीकुई रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बाँदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को सुनाया जाकर एवं टंकित करवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

20/2/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई